रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232764
CG-DL-E-19012022-232764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943
No. 29] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

India Code

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

**सा.का.नि. 29(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 में, नियम 6 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) राशि जिस पर मानदंड आधारित है, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन जारी की जा सकेगी, जो निम्नप्रकार है, अर्थात् :-

(क) निधि, का हिताधिकारी सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम होगा और अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञापन फाइल कर सकेगा ;

(ख) निधि, उस परियोजना या स्कीम या क्रियाकलाप के लिए आवश्यक रूप से उपयोग की जाएगी जिसके लिए यह शासकीय परिषद् द्वारा अनुमोदित है ;

(ग) निधि, उपनियम (2) में यथानिर्दिष्ट विशिष्ट परियोजना या स्कीम या क्रियाकलापों के लिए अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संवितरित की जाएगी ; और

(घ) इस निधि का हिताधिकारी उस परियोजना या स्कीम या क्रियाकलाप के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की किसी अन्य स्कीम या कार्यक्रमों से लाभ का दावा नहीं कर सकेगा ।"

[फा.सं. 2/3(1)/2021-पी एण्ड जी/पॉलिसी]

बी.बी. स्वैन, सचिव

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना, संख्यांक सा.का.नि. 1032(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**NOTIFICATION**

New Delhi the, 19th January, 2022

**G.S.R. 29(E).–**In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Micro, Small and Medium Enterprises (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in official Gazette.

2. In the Micro, Small and Medium Enterprises Fund Rules, 2016, after sub-rule (4) of rule 6, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) The criteria based on which sums may be released under sub-section(3) of section 14 of the Act are as under, namely:-

(a) the beneficiary of the fund shall be a micro or small or medium enterprise and shall file the memorandum under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(b) the fund shall be mandatorily utilised for the project or scheme or activity for which it is approved by the Governing Council;

(c) the fund shall be disbursed as per the guidelines notified for that particular project or scheme or activity as referred to in sub-rule (2); and

(d) beneficiary of this fund cannot claim benefits from any other Scheme or programme of Central Government or any State Government or Union territory Administration for that project or scheme or activity." .

[F.No.2/3(1)/2021-P & G/Policy]

B.B.SWAIN, Secy.

**Note :-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1032 (E), dated the 28th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.19 20:57:58 +05'30'